



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को अर्थदण्ड व कारावास से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को कुल 5100 रुपए के अर्थदण्ड व कारावास से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-764/21 धारा 279/338 भादवि के अभियुक्त दिलीप पुत्र बलवान निवासी ग्राम बसहरी थाना मटौंध जनपद बांदा को 1600 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना बबेरु पर पंजीकृत मु0अ0सं0-16/20 धारा 354/504 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट भादवि के अभियुक्त शिवा पुत्र रामलाल निवासी मु0 बनतलवा थाना बबेरु जनपद बांदा को 3500 रुपये के जुर्माने व 3 वर्ष के कारावास से दण्डित कराया गया ।